न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–V, हिलसा (नालंदा)।

पीठासीन पदाधिकारी :– संजीव कुमार राय

ए0बी0पी0– 472 / 2026

(परवलपुर थाना कांड संख्या– 55 / 2026)

शिरकान्त चौहान एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार।

Date of Order	Order with the signature of the Court	Office action taken
06.07.2026	आवेदकगण 1. शिरकान्त चौहान 2. संजय चौहान 3. ज्ञान्ती देवी उर्फ ज्ञान्ती कुमारी की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन पत्र जो धारा– 115(2), 117(2), 126(2), 109, 125(A), 125(B), 3(5) बी0 एन0 एस0 के तहत परवलपुर थाना कांड संख्या– 55 / 2026 के संबंध में दाखिल किया गया है, जिस पर दोनों पक्षों को सुना। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आवेदकगण की ओर से पूर्व में किसी भी प्रकार का नियमित या अग्रीम जमानत अर्जी सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल नहीं की गयी है। आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष हैं तथा कोई अपराध नहीं किए हैं। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तगण हैं। प्राथमिकी के अवलोकन से श्रीमान् पायेंगे कि सूचक द्वारा प्राथमिकी से घटना के कारण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। प्राथमिकी के अवलोकन से श्रीमान् पायेंगे कि घटना 109 बी0 एन0 एस0 का कोई आकर्षण उपरोक्त वाद में नहीं होता है। क्योंकि 109 बी0एन0एस0 के लिए जान से माने की नियत होना जरूरी है। सह अभियुक्त सर्विला देवी उर्फ सजल देवी को निम्न न्यायालय द्वारा जमानत की सुविधा प्रदान की गई है। आवेदकगण 482(2) बी0एन0एस0एस0 के तहत निर्धारित शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है। अतः आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत करने की कृपा की जाय। विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हैं। सुना। प्राथमिकी एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि सतेन्द्र कुमार दिनांक 28.04.2026 समय करीब 9 बजे संध्या वल्ली चौहान जी के यहाँ बारात जाने वाले लोग को खाना खिला रहे थे तब तक देखे कि रोड पर घर के सामने हल्ला–गुल्ला हो रहा था यह देखकर रोड पर गये तब तक शिरकान्त चौहान ने ईंटा चलाकर सुचक के सर पर मार दिया जिससे वो बेहोश होकर गिर गया। गाँव के लोग उठाकर हॉस्पीटल ले गए जिसमें सुचक के साथ पुनित कुमार, विक्रम कुमार भी चोटिल हो गये थे और ये लोग भी परवलपुर हॉस्पीटल में इलाज करवाये। मारने वाले में संजय चौहान, ज्ञान्ती देवी, सर्विला देवी सभी लोग लाठी–डंडा लेकर मारपीट किए। गाँव के लोगों के आने के बाद सब भाग गये। सुना। प्राथमिकी एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि प्रार्थी सं0– 2 का दो आपराधिक इतिहास है जिसमें से एक शराब के सेवन का है। काण्ड दैनिकी के पारा 35 के अनुसार अन्य आवेदकगण का एक–एक आपराधिक इतिहास है। प्रार्थी सं0– 1 पर ईंट से मारने का आरोप है और अन्य आवेदकगण के विरूद्ध सामान्य आरोप है। ज़ख्म प्रतिवेदन सामान्य प्रकृति का है। अतः आवेदकों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को तद्नुसार **स्वीकृत** करते हुए निर्देश दिया जाता है कि आदेश की तिथि से चार सप्ताह के अंदर आवेदकगण के गिरफ्तार होने या न्यायालय में आत्मसमर्पण किये जाने पर उसे	

लगातार...

10,000 रूपये के दो समान प्रतिभू के साथ बंध पत्र निष्पादित किये जाने पर न्यायालय की संतुष्टी पर के अधिन जमानत पर मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है।

(लेखापित)

अपर सत्र न्यायाधीश–V,
हिलसा (नालंदा)।

Date of Order	06.07.2026
Date of Reserving Order	
Uploading date	10.07.2026
Uploaded by	MD GUFRAN (STENOGRAPHER)